मिसल नम्बर 396/18 तारीक रजु 15-2-18 रिपोर्ट पटवारी हल्का .... बनाम

श्री कजन पुत्र ??? जाति ??? निवासी सिकन्दरपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू–अधिनियम 1956

निर्णयः–

दिनांकः– 6.3-18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री कजन ने ग्राम सिकन्दरपुर को भूमि ख.न. 888/1023 रकबा 0.25 किस्म चरागाह फसल – रबि / ~~खरीफ~~ संवत 20.74 में पत्थर कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (6) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोडने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 888/1023 रकबा 0.25 किस्म चरागाह वाके ग्राम सिकन्दरपुर से बेदखल किया किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 50-00 रु 50 गुणा 250 = शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल पत्थर को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिकमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

मा०

नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 112 पर
वर्ष 2017-18 में फसल/पत्थर नीलामी
की राशि शास्ति राशि
250 रु० की जमा कायमी की गई।
दिनांक 12/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील–महवा